an>

Title: Regarding compensation to farmers of Siddharthnagar district, Uttar Pradesh.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उत्तर प्रदेश में निर्माण में इण्डो-नेपाल बार्डर सड़क परियोजना में किसानों की भूमि क्रय करने की दरों में काफी अनियमितताएं पायी गयी है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में ग्रामीण किसानों की भूमि ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने सर्किल रेट का तीन गुना एवं शहरी क्षेत्रों में पुराने सर्किल रेट का डेढ़ गुना की दर से भूमि क्रय की गयी जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एल.ए. एक्ट 2013 (भूमि अधिग्रहण नियम-2013) को स्वीकार करते हुए 1 जनवरी, 2014 को लागू कर दिया जिसके अंतर्गत ग्रामीण काश्तकारों को ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान सर्किल रेट या बाजार दर में जो अधिक हो का चार गुना शहरी क्षेत्रों में दो गुना की दर से भूमि क्रय करने का दिशा-निर्देश दिया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के इण्डो-नेपाल बार्डर प्राजेक्ट में कुछ भूमि का क्रय 2014 में एवं कुछ 2016 में पुराने सर्किल रेट से क्रय किया गया। उसके बाद जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर के द्वारा पुराने सर्किल रेट से बनाये गये प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया जिससे ग्रामीण क्षेत्र के काश्तकारों का काफी नुकसान हुआ, जिसके कारण जनता में काफी आक्रोश है। अतः भारत सरकार से उक्त मामले पर तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं।